

निगम ने यह तेल 8,250 रु० टन की दर से खरीदा था परन्तु राज्य सरकारों ने तेल उठाने से इन्कार कर दिया है क्योंकि उनके लिये पूर्ण की निगम की मूल्य शर्तें सतावजनक नहीं हैं। इस इन्कार का एक कारण यह भी है कि इस बीच बाजार में तेल के भाव काफी कम हो गये हैं। इसके अलावा तेल की किस्म से भी राज्यों को संतोष नहीं है।

तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के तेल उत्पादकों ने व्यापारियों को उक्त तेल के विक्रय पर आपत्ति की थी, क्योंकि उनका दावा था कि यह तेल तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र की ख़ास के लिये बुलाया गया था। उनका तर्क था कि शुद्ध करने के लिये यह तेल उन्हें दिया जाये। निगम ने इसे स्वीकार नहीं किया।

तेल का भंडार बम्बई में ही पड़ा है, जिसमें निगम की भारी राशि फंसी है। अब तेल की हालत यह हो गयी है कि वह खाने लायक नहीं रह गया है। अच्छी तरह उसे जब तक साफ नहीं किया जाता वह खाने योग्य नहीं होगा।

वर्तमान में तेल का भाव 6,900 रुपये टन है। इस प्रकार मूल्य में भंडारण शुल्क एवं बीमा शुल्क मिलाकर 3,000 रुपये प्रति टन का अंतर आता है। आज की स्थिति में उसमें कुल 5 करोड़ का घाटा हो रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे।

(iii) MISBEHAVIOUR OF SCOOTER DRIVERS IN DELHI AND UNHELPFUL ATTITUDE OF THE POLICE

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I had a bitter experience at New Delhi station today morning (Tuesday) when I got down from the Rajdhani Express and tried to get one scooter at the stand to attend the Parliament in time.

I found the scooter stand had turned into a forum of free enterprise and the drivers were openly bargaining and choosing amongst the passengers and I was denied any lift. I found also one 'leader' of the stand openly insulting and demoralising passengers who dared to point out some rules. Failing to get a scooter in the 'open market' I approached the police outpost there and the person there instead of helping us started cross-examining us in a way bordering misbehaving. At last when I disclosed my identity one police official who was on scooter suddenly caught hold of one driver who kept his scooter at the corner of the station and not in the stand and asked him to take me to my destination which showed that the scarcity of conveyance in the station had been artificially created in connivance with the police.

Being an M.P. I got this privilege but most of the passengers are not fortunately M.Ps and so they were to surrender helplessly to the mercy of the taxi and scooter drivers. Delhi is the capital of India where people from all corners of the country and even from abroad come and if at the very entry they face a virtual lawlessness, intimidation and harassment, they would go only with impression that Emergency is the only answer to India's malady.

(iv) REPORTED STRIKE BY LAWYERS OF THE HAZARI COURTS, DELHI

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज खास तौर से गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

15 जुलाई, 1978 को तीसहजारी कचहरी के एक वकील श्री ओम प्रकाश शर्मा किसी झगड़े के सम्बन्ध में पहाड़गंज, नई दिल्ली पुलिस स्टेशन गये, परन्तु वहाँ पर उनकी बात सुनने के बजाय वहाँ के एम० एच० ओ० तथा सब-इन्स्पेक्टर पुलिस ने उन के साथ दुर्व्यवहार किया और